



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 25 मार्च, 2021

चैत्र 4, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-2

संख्या 104/23-2-21-8(सा10)-2021

लखनऊ, 25 मार्च, 2021

अधिसूचना

प0आ10-98

चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि जिला गोरखपुर में रोहिन नदी के गाय घाट पर एक नए सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है;

अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा दर्शित सीमाओं के भीतर जिला गोरखपुर में गाय घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करती हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि पूर्वोक्त दिनांक से, जिला गोरखपुर में गाय घाट पर पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तात्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर में निहित होगा।

अनुसूची

जिला का नाम	नदी के दोनों ओर पर परगना के नाम	नदी के दोनों ओर पर ग्रामों के नाम	नदी का नाम जिस पर नौघाट स्थापित किया जाना है	नौघाट का नाम	नौघाट की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
गोरखपुर	हवेली	सेमरहवा, घोलहवा, गौनरपुरा, शिवपुर, कुदरिया, जीतपुर, चोरवा, चौगहवा, महाराजगंज	रोहिन नदी	गाय घाट	“सी”

किनारा	धारा के ऊपर की ओर	दूरी	धारा के नीचे की ओर	दूरी
7	8	9	10	11
बाँया	सेमरहवा	0.30 कि०मी०	घोलहवा	0.50 कि०मी०
दाँया	जीतपुर	1.00 कि०मी०	चोरवा	0.80 कि०मी०

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।